

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2018/

दिनांक:

—:आदेश:—

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 311/2014 एवं अन्य तथा 5127/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2014 एवं 09.05.2014 की पालना में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त संशोधित परिणाम के अनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मा/एफ.40/संशो.परिणाम/2015/34 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर आदेश संख्या 47 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा दो वर्ष के परीक्षाकाल पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई करते हुए इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 में दर्शाई गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी/(रूल्स) 2013-11 दिनांक 28.06.2013 की अनुपालना में उपलब्ध प्रावधानों के तहत फार्मासिस्ट के पद के पे-बैंड 9300-34800 में ग्रेड-पे 3600 एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	KULDEEP KHANDELWAL	07-July-81	Kota	10.03.2015	09.03.2017	10.03.2017

उक्त कार्मिक का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक: 06/06/18

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2018/203

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर